गांधी राजनैतिक सम्प्रेषक के रूप में

*डॉ. सतीश चतुर्वेदी

प्रत्येक संम्प्रेषण राजनीतिक हो यह आवश्यक नही है क्योंकि उसकी राजनैतिकता संम्प्रेषण करने वाले व्यक्तियों के बारे में सुनिश्चित नही होती अपितु संम्प्रेषण के विषय और उद्देश्य से निश्चित होती है। डेविस स्वानसन एवं डेननिमों ने राजनैतिक संम्प्रेषण को परिभाषित करते हुए उसे राजनैतिक ज्ञान, विश्वास और राजनैतिक मामलों में कार्यकरने की क्षमता को प्रभावित करने वाले संम्प्रेषण का विशेषीकृत योग बताया है।

राजनैतिक संम्प्रेषण में मुख्य रूप से समझाइस के महत्व को अंकित किया गया है वृहत रूप में यह राजनीति से संबन्धित अर्थपूर्ण संम्प्रेषण है। राजनैतिक संम्प्रेषण केवल लिखित वक्तव्य एवं मौखिक संदेशो तक सीमित नही है अपितु यह दृश्यव्य प्रतिनिधित्व भी करता है जैसे पहनावा, बातचीत का तरीका तथा अन्य राजनैतिक प्रतीक जैसे गांधी द्वारा चरखा, खादी का प्रयोग करना आदि।

गैर प्रजातांत्रिक राज्यों में राजनैतिक सम्प्रेषण का केवल यही तरीका होता है और वह केवल एकतरफा होता है, जिसमें राज्य अपनी इच्छाओं और आदेशो का प्रभावी ढंग से राजनैतिक सम्प्रेषण करता है और जनता केवल उन आदेशो का पालन करने तक ही सीमित रहती है।

प्रजातांत्रिक राज्यों में सम्प्रेषण दो तरफा होता है :–

1. चुनावी अभियान के रूप में
2. सरकारी कार्य के रूप में

संवैधानिक तरीके से जनता चुनावों के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करती है तथा राज्य अथवा सरकारो को समय–समय पर आभास कराती है कि अन्तिम शक्ति जनता के पास है। राजनीतिक संम्प्रेषण उस समय अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। शक्ति संबधो के बदलते स्वरूप के अन्तर्गत चुनावी राजनीति संम्प्रेषण अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है।

समसामयिक समय में राजनीतिक संम्प्रेषण में सोशल मीडिया का महत्व बढता जा रहा है और आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया, परम्परागत मीडिया से ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक संम्प्रेषण राजनीतिज्ञों, न्यूज, मीडिया एवं जनता के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान की अन्तः क्रियात्मक प्रक्रिया है।

राजनीतिक संम्प्रेषण की प्रक्रिया को तीन मुख्यतः स्तर पर विभाजित किया जा सकता हैः–

उत्पादन :– इसका उत्पादन इस प्रकार का होना चाहिये जो कि सरलता से अधिकतम लोगो तक पहूँचाया जा सके और जिसमें अधिक धन तथा भ्रम की आवश्यकता न हो। इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि जिस देश में किया जा रहा है वहॉ विचारो को स्वतंत्रता कितनी है। कम स्वतन्त्रता वाले देशो में भाषा और शब्द का प्रयोग इस रूप में किया जाता है और ऐसे शब्द और तरीके अधिक प्रभावी हो सकते है जो कि सत्तापक्ष को स्वीकार्य हो।

विषय :– विषय को प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसको किस माध्यम से प्रेषित करना

है। चुनावी रैलियों में, ड्राइंग रूम की बातचीत में केवल दल के सदस्यों के मध्य, दल के पदाधिकारियों के मध्य या रेलियां, टेलिविजन, साक्षात्कार, अखबारो में लेख या सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त करना है।

प्रभाव :– राजनैतिक संम्प्रेषण का सबसे प्रमुख पक्ष इसका प्रभावी होना है। प्रभाव का मापदण्ड कई बातो पर आधारित होता है जैसे वह केवल सीमित समय तक है, विशेष समूह के लिए है, विशेष उदेश्य को प्राप्त करने के लिए है या संदेशवाहक से प्रभाव में वृद्धि के लिए है, सर्वाधिक सफल प्रभाव तब माना जाता है जब संदेशवाहक के मन्तव्य को समझकर जनता इसके अनुसार कार्य करे। राजनैतिक आंदोलन में इस संदर्भ में सबसे प्रभावी राजनेताओं में गांधी एवं मार्टिन लूथर इत्यादि शामिल है।

वाल्टर लिपमैन ने अपने प्रमुख ग्रन्थ ''Public Opinion'' में प्रजातंत्र के बढ़ते प्रभाव को इंगित करते हुए इसे राजनीति में महत्त्वपूर्ण पड़ाव बताया हैं। उसके अनुसार प्रजातंत्र में राजनैतिक अभिनेताओं की समझाइस की कला को ओर मुखरित किया गया है और उसे व्यापक स्तर पर परिवर्तित कर मानव इतिहास में अभूतपूर्व रूप से क्रियान्वित करने का कार्य किया हैं। आज राजनीतिक क्षैत्र में कार्य करने वालो को यह समझ होनी चाहिये कि मीडिया किस तरह काम करता है और किस प्रकार सार्वजनिक संबंधों को वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढ़ंग से काम मे लिया जा सकता है।

ब्रायन मेकनेयर ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक ''An Introduction to Political Communication'' में इस पर विस्तार से चर्चा की है। राजनैतिक संम्प्रेषण के अध्ययन में तीन प्रमुख तत्वों के अन्तःसंबंधों पर चर्चा आवश्यक है, जिनके अध्ययन से राजनैतिक कृत्य सोचे और क्रियान्वित किये जाते है।

- **राजनैतिक अभिनेता :–** संक्षिप्त रूप में परिभाषित करने पर ये वो व्यक्ति हैं जो संगठनात्मक एवं संस्थागत तरीकों से ये इच्छा रखते है कि वे निर्णय–निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें इसके लिए वे संस्थागत राजनैतिक शक्ति को प्राप्त करना चाहते है फिर चाहे वो सरकार से या विधानसभाओं की सदस्यता से प्राप्त हो। विरोधी पक्ष के सदस्य होने पर वे अपने उद्देश्यों को स्थापित शक्तियों के द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों में बाधा उत्पन्न करके तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करके प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के राजनैतिक अभिनेता सामान्य रूप से स्थापित राजनैतिक सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं जो कि समान सोच रखने वाले व्यक्तियों के समूह होते है जिनमें संगठनात्मक एवं वैचारिक संरचनाओं पर सहमति होती है तथा जिनके उद्देश्य भी समान होते हैं। ये उद्देश्य राजनैतिक दल में अन्तर्निहित मूल्यव्यवस्था एवं विचारधारा को परिलक्षित करते हैं। वैचारिक मतभेद होने पर भी प्रजातंत्र में विभिन्न राजनैतिक दल अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीको का सहारा लेते है और जनता को अपनी विचारधारा और उद्देश्यों की महत्ता राजनैतिक संम्प्रेषण से बताने का प्रयास करते है।

- **विपणन (मार्केटिंग) :–** राजनैतिक विज्ञापन भी राजनैतिक संम्प्रेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से विभिन्न राजनैतिक दलों के मध्य के भेद को स्पष्ट किया जाता है और समान दिखने वाले राजनैतिक दलों के महत्वपूर्ण अंतर को जनता के समक्ष अपने पक्ष में झुकाने के लिए अन्तर स्पष्ट किया जाता है।

- **सार्वजनिक संबंधः–** तीसरे प्रकार के राजनैतिक संम्प्रेषण की गतिविधियों में सार्वजनिक संबंध महत्वपूर्ण हैं। इसके अन्तर्गत इस प्रकार से सूचना एवं मीडिया प्रबंध की गतिविधियों को निर्मित किया जाता है, जिससे कि राजनैतिक दल को अधिकतम सकारात्मक प्रचार मिल सके। इस प्रकार का सामाजिक संम्प्रेषण बनाने में सम्मेलन, कार्यशालाऍं, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस सम्मेलन तथा लेखों एवं रिर्पोटों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

राजनैतिक संम्प्रेषण के विभिन्न स्वरूपों में सफल प्रारूप बनाने एवं क्रियान्वयन के लिए एक विशेष प्रकार का नया व्यावसायिक वर्ग निर्मित हुआ है जिसे मीडिया सलाहकार, इमेज मेनेजर, राजनैतिक गुरू इत्यादि नाम दिया जाता

है। जो विश्वभर में राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त किये जाते है। राजनैतिक दलों के अलावा भी प्रजातांत्रिक राजनैतिक प्रकिया में कई अन्य गैर–राजनैतिक संस्थाऍं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गैर सरकारी संगठन (NGO), कॉरपोरेट लॉबी, समूह, श्रमिक संगठन और भारत जैसे देशों में जाति समूह, भाषायी समूह और एथेनिक (नृजातिय) समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं।

इस प्रकार मीडिया का महत्व राजनैतिक संम्प्रेषण में अत्यधिक हैं। राजनैतिक अभिनेता की श्रेणी में अन्तर्राष्ट्रीय मंच भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। वैश्वीकरण के इस दौर में जब इन्टरनेट और संचार के अन्य संसाधनों ने वैश्विक विश्व को एक वैश्विक गांव में परिणित कर दिया है, ऐसे में राजनैतिक संम्प्रेषण अन्तराष्ट्रीय मंच पर सफल होना चाहिये।

गांधी : एक राजनीतिक संम्प्रेषक के रूप में

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन अन्य सभी राष्ट्रीय आन्दोलनों से अलग प्रकार का था। अधिकतर राष्ट्रीय क्रान्तियाँ शस्त्र और हिंसा से युक्त होती हैं जिसमें समाज का एक छोटा प्रशिक्षित समूह नेतृत्व प्रदान करता हैं। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में अहिंसा एक हथियार के रूप में काम में लायी गयी। इसमें लाखों लोगों ने भाग लेकर महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार यह आन्दोलन एक संगठित संस्थागत प्रयास नहीं था, अपितु एक बड़े जनसमूह के द्वारा जो विभिन्नताएँ लिए हुए था, उसका सामूहिक प्रयास था। इतने बड़े पैमाने पर अहिंसक आन्दोलन का सफल होना तभी संभव था, जबकि वह एक करिश्माई नेतृत्व के द्वारा संचालित हो। वह करिश्माई नेतृत्व महात्मा गांधी का था।

कई बार एक प्रश्न उठता है कि क्या गांधी के जनता पर प्रभाव का मापन वैज्ञानिक तरीके से हो सकता हैं? यह लगभग संभव है कि हम वैज्ञानिक तरीके से गांधी के जनता पर प्रभाव का मापन कर सकें। लॉर्ड माउन्टबेटन ने गांधी को एक व्यक्ति की सेना बताया, जिसने बंगाल में केवल अपनी उपस्थिति के कारण हिन्दू–मुस्लिम दंगों को रोक दिया था। गांधी ने भारत में ब्रिटिश राज के इतने वर्षों तक स्थापित रहने का मूल कारण स्वयं भारतीयों को बतलाया हैं। उन्होनें जनमानस का आव्हान किया कि उन्हें आपसी मतभेद भुलाकर एकता का प्रदर्शन करना चाहिये जिससे की ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जा सकें।

हम जानते है कि भारतीय समाज विभिन्न कारणों से क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, शहरी–ग्रामीण, अनपढ़–शिक्षित, धनवान–निर्धन इत्यादि में बंटा हुआ है और इस समाज को इन सब विभिन्नताओं को परे रहकर एकता के सूत्र में बांधना एक कठिन कार्य था, लेकिन गांधी ने अपने राजनैतिक संगठन की कला से इन्हें अपने एकता के सूत्र मे बांधा, जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन सफल हो सका।

गांधी का यह शर्मीलापन ही उनका एक बहुत बड़ा सद्‌गुण सिद्ध हुआ, जिससे वह अपने श्रोताओं से निर्भीक, तात्विक रूप में मिलते थे एवं वे उनका ध्यानकेन्द्रित करने में सफल होते थे। उन्होनें स्वयं ने लिखा है कि ''बोलने में होने वाली घबराहट ही उन्हें आज शब्दों के चयन में सहायता करती है जिससे कि वह शब्दों का दुरूपयोग नहीं करते और अपने चिन्तन को स्वाभाविक रूप से प्रचलित शब्दावली में व्यक्त करने में समर्थ हैं।'' उन्होनें कहा कि अपनी इस शब्दों की सीमितता के कारण उन्हें कभी भी अपने बोलने पर या लिखने पर पश्चाताप नहीं करना पड़ा। इसके बावजूद उनका लेखन जो सम्पूर्ण गांधी साहित्य के 100 खण्डों में संकलित है वह लगभग 1½ करोड़ शब्दों से भरपूर हैं।

गांधी को राजनैतिक जीवन में बोलने के बहुत से मौके मिले जिनका उन्होनें राजनैतिक संम्प्रेषण के लिए समुचित उपयोग किया। उनके संकलन में उनके द्वारा दिये गये भाषण, टिप्पणियाँ, साक्षात्कार, बहस, पत्र, उपदेश, डायरी, नोट, टेलीग्राम, प्रतिवेदन, अपील, लेख और पुस्तकों का भरपूर उपयोग किया गया हैं। वे अंग्रेजी, हिन्दी और

गुजराती मे प्रवीण थे। उनके सम्पूर्ण ग्रंथों का लेखन अभियान 38 वर्षों में पूरा हुआ।

ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी सरकारी भाषा थी और सरकार से संवाद के लिए अंग्रेजी अनिवार्य थी। गांधी ने भाषा के इस प्रयोग को पूर्णतः बदल दिया। उन्होंने हिन्दी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा और इसी क्रम में दिसम्बर 1916 में लखनऊ के कांग्रेस सम्मेलन को हिन्दी में संबोधित किया।

• **भाषा :–** गांधी ने स्वराज्य की लड़ाई के लिए कई प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया। इसमें भाषा का प्रयोग महत्त्वपूर्ण था। इसीलिए उन्होंने स्वराज्य के युद्ध को स्वदेशी के युद्ध में परिवर्तित किया। इसी के अन्तर्गत हिन्दी भाषा को सम्प्रेषण की भाषा के रूप में चुना। उनका आग्रह था कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े लोग हिन्दी नहीं जानते उन्हें हिन्दी सीखनी चाहिये। उन्होंने स्वयं ने अपनी हिन्दी सुधारने के प्रयत्न किये। उनके हिन्दी के प्रयोग से यह अर्थ बिल्कुल नहीं था कि जहाँ अंग्रेजी आवश्यक है उसका प्रयोग नहीं करना हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने तीन पत्रिकाएँ अंग्रेजी में सम्पादित की थी। इन पत्रिकाओं में अंग्रेजी का प्रयोग कर ब्रिटिश राज्य की कमियों को उजागर किया था। उनकी अंग्रेजी पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफेसर एडवर्ड थामसन ने उनकी प्रशंसा की थी। गांधी अपनी भाषा गुजराती में भी प्रवीण थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी थी।

• **वक्ता :–** जब भी गांधी किसी सार्वजनिक सभा में बोलते थे तो उनकी भाषा, शब्दों का प्रयोग, भाव प्रबलता एवं तार्किक प्रस्तुति उनके बोलने के उद्देश्य को सरल और सत्यवादी बनाती थी। उनकी नैतिक अपील हमेशा से लोकप्रिय रही, जो कि उनके व्यक्तित्व से मेल खाती थी। न केवल सार्वजनिक सभाओं में अपितु ड्राईंग रूम की बैठकों में, छोटे सम्मेलन में, आश्रम में, दैनिक प्रवचन में और वार्तालाप में भी गांधी की बात ध्यान से सुनी जाती थी क्योंकि वह एक सच्चे व्यक्ति के हृदय से निकली हुई, सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर बोली गयी वाणी थी।

• **पत्रकार :–** गांधी जब इंग्लैण्ड में कानून के छात्र थे तब उन्होंने सर्वप्रथम पत्रकारिता आरम्भ की थी। उन्होंने मुख्य रूप से सांस्कृतिक मुद्दों पर लिखना आरंभ किया। सर्वप्रथम इसी के माध्यम से उन्होंने **''शाकाहारी वाद''** का प्रबल समर्थन किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने **"Indian Opinion"** नामक अखबार की स्थापना की जो मूलतः दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति को उजागर करने का मुख्य पत्र था।

भारत में आने के पश्चात् गांधी से अनुरोध किया गया कि वे **"Young India"** नामक अखबार का संपादन स्वीकार करें, गांधी ने अनुरोध को स्वीकार कर इस पत्र का संपादन प्रारम्भ कर दिया। 1919 में उन्होंने एक गुजराती मासिक **नवजीवन** का सम्पादन करना आरंभ किया। ये मासिक पत्रिका इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे साप्ताहिक बनाया गया। गांधी ने उक्त दोनों का उपयोग राजनैतिक सम्प्रेषण के रूप में किया। इनके माध्यम से राजनैतिक शोषण और दमन का मुकाबला करने के लिए ''सत्याग्रह'' की तकनीक का प्रचार–प्रसार किया।

गांधी के साधारण तरीके से लिखे गये लेखन को विश्व भर में उद्धृत किया जाता रहा है। इसका कारण उनके लेखन में छिपी वैश्विक अपील है जो मानवता को उसकी सम्पूर्णता में बताती हैं। उनका लेखन उनके व्यक्तिगत अनुशासन का भी प्रतीक है। वे अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करने के प्रति मनोयोग से कार्यरत थे और उसके लिए उन्होंने अहिंसा का पथ चुना था।

पत्र लेखन :– गांधी विश्व के सबसे बड़े नियमित और निरंतर पत्र लिखनेवालों में से एक थे। उनके पत्रों का परीक्षण करने पर देख सकते हैं कि वे सभी मनुष्यों के प्रति खुला व्यवहार रखने वाले थे। वे धर्म, जाति, संस्कृति, प्रजाति, राष्ट्र, आयु, बुद्धिमत्ता के आधार पर भेद नहीं करते थे। उनके पत्रों का विषय भी बहुआयामी था, उनके विषयों में तार्किक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षणिक तथा निजी विषय होते थे।

गांधी ने बहुत से कार्यकर्ताओं के समूहों का निर्माण किया जो बातचीत के माध्यम से गांधी के संदेश को पर्याप्त रूप से प्रसारित कर सकें। गांधी ने कार्यकर्ताओं के लिये खादी पहनना अनिवार्य किया। इन शर्तों को पहले कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत किया गया जिससे इनमें परिवर्तन करना किसी भी कांग्रेसी के लिए संभव नहीं हो सकें। इनमें अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कार्य करना, जेल जाने के लिए तैयार रहना, यहाँ तक कि अहिंसा के लिए प्रतिबद्ध होकर मर जाने के लिए भी तैयार होना इत्यादि शामिल थे।

सत्याग्रह के प्रयोगों की सफलता के पीछे विश्व के मीडिया द्वारा प्रमुखता एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा। गांधी सत्याग्रह की सफलता में वैश्विक जनमत के महत्त्व को भी समझते थे। गांधी सत्य के लिए संघर्ष में मीडिया को एक सकारात्मक सहयोगी के रूप में देखते थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अखबारों का प्रयोग कर भारतीयों के साथ होने वाले अनुचित और भेदभावपूर्ण सरकारी व्यवहार की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया। आरंभ में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मुख्य धारा के अखबारों में लेख लिए, संपादकों को पत्र लिखे और सामान्य जनता को खुले पत्र लिखे। शीघ्र ही उन्होंने समझ लिया कि एक सशक्त सरकार विरोधी अभियान के लिए कभी–कभी अखबारों में लिखना पर्याप्त नहीं है अपितु एक मान्य अखबार स्वयं द्वारा संपादित होना चाहिये जिसमें निरन्तरता से सरकार की आलोचना की जा सकें।

गांधी ने केबल एवं टेलीग्राफ का भी ''संम्प्रेषण'' में भरपूर उपयोग किया हैं। उन्होंने सबसे पहला केबल 7 मई, 1896 में डरबन से उपनिवेशी पत्रिका जोसिफ चेम्बरलीन को भेजा जिसमें उनसे नैटल मताधिकार अधिनियम स्वीकार नहीं करने का अनुरोध किया गया था। गांधी ने केबल और रेडियो का भरपूर प्रयोग अपने दांड़ी मार्च में किया और ऐसी विचार अभिव्यक्ति को प्रेषित किया जो कि तुरंत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लोकप्रिय हो सकें, जैसा कि उन्होंने कहा "I want world sympathy and this battel of right against might".

गांधी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मास मीडिया का भरपूर उपयोग अपने सत्याग्रह अभियान में करने का उद्देश्य निश्चित था, वे दांड़ी मार्च के बाद रातोंरात वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो गये और विश्व की प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन के 1931 में ''वर्ष का व्यक्ति'' घोषित किये गये। इसका लाभ हुआ कि वैश्विक लोकमत भारतीय राजनैतिक आन्दोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगा। ब्रिटिश सरकार इसे अनदेखा नहीं कर पाई और उसे गांधी से वार्ता करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता पड़ी।

• **गैर–शाब्दिक संम्प्रेषण :–** गांधी के लिखे और बोले गये सम्प्रेषण के साथ गैर–शाब्दिक प्रतीक बहुत महत्त्वपूर्ण थे जिनसे अशिक्षित ग्रामीण जनसंख्या प्रभावित होती थी। इन गैर शाब्दिक प्रतीक के कुछ उदाहरण है उनका मोनव्रत, पहनावा, उपवास तथा शारीरिक उपस्थिति आदि।

मोन :– गांधी ने अप्रैल 1921 से सोमवार को मोनव्रत रखना आरंभ किया। वे शब्दों की मितव्ययता के महत्त्व को जानते थे और इसलिए मोन को तन और मन की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने कभी भी व्यर्थ की बातचीत में अपना समय नष्ट नहीं किया, सत्य की खोज के लिए हमेशा अनुशासित रहें। गांधी ने प्रत्येक सोमवार को आत्म परीक्षण के लिए मोननव्रत रखना प्रारम्भ किया, माना कि यह जीवन का आवश्यक अंग हैं। मोनव्रत करना प्रारंभ करने के बाद उनकी संत की छवि बनती गयी और उनके मोन को नैतिक क्षमता का प्रतीक माना गया। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। रविन्द्र नाथ टैगोर ने उस समय कहा था कि ''गांधी का मोन उनके भाषणों से भी ज्यादा प्रभावशाली हैं।''

उपवास :–मानव इतिहास में गांधी एकमात्र ऐसे राजनीतिज्ञ है जिन्होंने उपवास का व्यवस्थित प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया। यह उनका सबसे बड़ा अहिंसक और गैर शाब्दिक हथियार था, जिनसे उन्होंने कई संकटपूर्ण स्थितियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने उपवास का प्रयोग पश्चाताप करने तथा अपराधी के

हृदय परिवर्तन के लिए भी किया। गांधी ने उपवास को स्व–परीक्षण और आत्मशुद्धि के लिए एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 15 बार उपवास किये, जिनके उद्देश्य अलग–अलग थे। उन्होंने उपवास के लिए एक निर्देशिका भी जारी की और यह माना कि उपवास प्रेम के वातावरण में ही सफल हो सकता हैं। गांधी के उपवास भारतीय राजनीति में सबसे महत्त्वपूर्ण विरोध के प्रतीक के रूप में याद किये जायेगें। इसका सफलता पूर्वक प्रयोग उन्होंने ''संघर्ष निवारण'' में भी किया।

गांधी के उपवास का प्रभाव न केवल निर्णय लेने वाले अधिकारियों और शासकों पर पड़ा बल्कि जन साधारण पर भी अत्यधिक प्रभाव पडा। भारत विभाजन के समय हुए दंगों में गांधी ने अकेले बंगाल में उपवास के माध्यम से शांति स्थापित की। गांधी को करिश्माई व्यक्तित्व बनाने में उपवास का बहुत महत्त्व रहा।

पहनावा :–गांधी ने अपना जीवन एक साधारण व्यक्ति के रूप में आरंभ किया। उनका पहनावा भी तात्कालिक परिस्थितियों, आर्थिक सामर्थ्य और उनके व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप ही था। दक्षिण अफ्रीका में **रस्किन** की पुस्तक Unto this Last पढ़ने के पश्चात् वे अपनी जीवनचर्या को साधारण बनाने लगे।[21] दक्षिण अफ्रीका में सरकार द्वारा भारतीयों के विरूद्ध किये जाने वाले हिंसक व्यवहार के विरोध में शोक व्यक्त करने के लिए अपने सत्याग्रह आंदोलन को सफेद कुर्ता–धोती का प्रयोग कर आरंभ किया। उन्होने भारत में आने के पश्चात् पश्चिमी वेशभूषा का त्याग कर दिया। स्वदेशी आन्दोलन में विदेशी कपड़ों की होली जलाई और स्वयं के द्वारा बुने गये कपड़ों को पहनने पर बल दिया। तिलक की मृत्यु के पश्चात् 21 अगस्त, 1920 से गांधी ने सम्पूर्ण जीवन ''खादी'' पहनने का निश्चय किया। 1921 से गांधी ने केवल घुटनों तक धोति पहनने का निश्चय किया।

गांधी का शारीरिक व्यक्तित्व एवं उपस्थिति : गांधी के बार में एक बात सदैव स्पष्ट रही कि वे एक अभिजनवर्गीय राजनेता नहीं थे। वह साधारण जनता को जाने बिना इसके बारे में सैद्वान्तिक राजनैतिक विवेचना नहीं करते थे। उनके अनुसार ''मेरा जीवन ही मेरा संदेश हैं।''

भारत में आने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने एक वर्ष तक भारत भ्रमण की सलाह दी, जिससे की वह स्वयं को भारत की विभिन्नता वाली संस्कृति, साधारण व्यक्ति की दिनचर्या, सामाजिक बुराइयाँ, आर्थिक परेशानियाँ और राजनैतिक दबाव से परिचित हो सकें। गांधी ने इस सलाह को मानते हुये पूरे देश में तृतीय श्रेणी के रेल डिब्बें में सफर करने का निश्चय किया वे भारतीय जीवन को गरीब की दृष्टि से समझना चाहते थे। जनता के सबसे पिछड़े वर्ग के प्रति उनकी यह सहानुभूति तमाम उम्र बनी रही।

गांधी की राजनैतिक सम्प्रेषण की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका प्रत्यक्षदर्शी और सहभागी बनकर समाज के सबसे पीड़ित वर्ग के साथ साझा अनुभव करना रहा। गांधी ने अपने जीवन के अन्तिम 33 वर्षों में (1915–1948) लगभग 10 वर्ष जनता के मध्य रहकर गुजारे। नेहरू ने गांधी के जनता के साथ रहने के इन प्रयासों को एक 'आँधी' की संज्ञा दी, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी।

इस प्रकार गांधी अपनी जीवनशैली और व्यक्तित्व से राजनैतिक आन्दोलन के प्रतीक बन गये। महात्मा के रूप में अन्य सभी राजनेताओं से अलग और उच्च स्थिति में दिखने लगे। गांधी विश्व के उन विरले व्यक्तित्वों में से थे जिनका नाम जिस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उसका प्रतीक बन गया। उनका यह संदेश कि **''मेरा जीवन ही मेरा संदेश हैं''** उन पर पूर्णतया से लागू होता है। इस प्रकार गांधी की सम्प्रेषण की कला उनके स्वयं के द्वारा विकसित अनूठी कला है, जिसका उनके समकक्ष कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बाद में कई व्यक्तिओं ने उनका अनुसरण किया है जिसमें मार्टिन लूथर किंग, लेक वालेसा इत्यादि शामिल हैं।

संम्प्रेषण सिद्धान्त को गांधी की देन :

समाजशास्त्रीय दृष्टि से जनता प्रतीकों को महत्व देती है। अगर प्रतीक शक्तिशाली और आकर्षक हैं तो जनता उसे सच मानकर उसका स्वागत करती हैं और प्रतीक देने वाले व्यक्ति, संगठन या संस्था को महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक मानकर उसका अनुसरण करती है। प्रतीक एकाकी इकाइयाँ नहीं होती। वे समय की संरचना में जकड़ी हुई सच्चाई होती हैं। राजनैतिक संप्रेषण के लिए शक्तिशाली प्रतीकों का होना आवश्यक हैं। गांधी को प्रतीक बनाने की कला का विशेषज्ञ माना जाता है उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन में कई प्रतीको का निर्माण किया और जनमानस की चेतना में स्थापित किया, जिससे की उनके सिद्धान्त जनमानस तक व्यवहारिक दृष्टि से पहुँच जाये और वे इन सिद्धान्तों का अनुसरण करने लगें।

गांधी ने स्वराज्य के लिए सत्याग्रह और अहिंसा का प्रतीकीकरण किया। **पीटर गोन्साल्वेज** ने अपनी पुस्तक "CLOTING FOR LIBERATION (A COMMUNICATION ANALYSIS OF GANDHI'S SWADESHI REVOLUTION)" में प्रतीकीकरण के गांधीवादी दृष्टिकोण के छः सिद्धान्तों को इंगित किया हैं :–

(i) ऐतिहासिक विश्लेषण

(ii) जमीनी अनुभव

(iii) वैज्ञानिक समझ

(iv) नैतिक धर्म

(v) यथार्थ की एकरूपता

(vi) सामाजिक–राजनैतिक रूपान्तरण

इस प्रकार ये छः सिद्धान्त प्रतीकीकरण के गांधीवादी दृष्टिकोण का आधार प्रस्तुत करते हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि गांधी के लिए संप्रेषण एक अलग सामाजिक कार्य नही था अपितु यह उनके जीवन जीने की कला थी। उनकी जीनवशैली में प्रतीक बनाने वाला और प्रतीक दोनों समाहित था। इसलिए उसका प्रभाव असीमित था।

***व्याख्याता**
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय कन्या महाविद्यालय
बयाना, भरतपुर (राज.)

संदर्भ सूची

1. लिपमेन, वाल्टर; पब्लिक औपिनियन, न्यूयार्क, पृष्ठ–248
2. मेकनेयर, ब्रायन; एन इन्ट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल कम्यूनिकेशन, राउटलेज, न्यूयार्क, 2011,पृष्ठ 5–7
3. चक्रवर्ती, निखिल; महात्मा गांधीः द ग्रेट कम्यूनिकेटर, गांधी मार्ग (1995), पृष्ठ 89–91
4. थामसन, एडवर्ड; गांधीः अ करक्टर स्टडी इन महात्मा गांधी – एसेज एण्ड रिफ्लेक्शन, जेको पब्लिशिंग हाउस, 2004, पृष्ठ 290–91
5. मुंशी, के.एम; गुजराती एण्ड इट्स लिटरेचर, लॉग मेन्स ग्रीन एण्ड कम्पनी, 1935, पृष्ठ–312

6. नेहरू, जवाहरलाल; द डिस्कवरी ऑफ इण्डिया, पेंगुइन बुक्स 2004, पृष्ठ–399
7. कलेक्ट्रेट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वाल्यूम–43,पृष्ठ–180
8. गांधी, एम. के. ;ऑटोबायोग्राफी, पृष्ठ–58
9. प्रभु, आर. के और केलकर, आर.; ट्रूथ काल्ड देम डिफ्रेन्टली टेगोर गांधीज कन्ट्रोवर्सी, नवजीवन, अहमदाबाद, 1961, पृष्ठ–94
10. मरियम एनेल एच.; सिम्बोलिक एक्शन इन इण्डियाः गांधीज नॉनवर्बल परसुएशन, क्वाटरली जनरल ऑफ स्पीज, 61 (1975), 290
11. कृपलानी कृष्णा; गांधीः अ लाइफ, नेशनल बुक ट्रस्ट, 1982, पृष्ठ–189
12. गोन्साल्वेस, पीटर; क्लोथिंग फार लिबरेशनः अ कम्यूनिकेशन एनेलिसिस ऑफ गांधीज स्वदेशी रिवोल्यूशन, सागे पब्लिकेशन्स, पृष्ठ–25
13. मरियम, एनेल एच.; सिम्बोलिक एक्शन इन इण्डियाः गांधीज नानवर्बल परसुएशन, क्वाटरली जनरल ऑफ स्पीच, 297
14. गोन्साल्वेस, पीटर; क्लोथिंग फार लिबरेशन : अ कम्यूनिकेशन एनेलिसिस ऑफ गांधीज स्वदेशी रिवोल्यूशन, सागे पब्लिकेशन्स, पृष्ठ 123–126